न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1243 / 2024
अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी ।

— वादी

बनाम

1. कमला पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
2. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
3. सति पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
4. प्रमीला पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।
5. मन्जु देवी पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 15/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 193 / 193 की कुल 6.1210 हैक्ट भूमि मनीराम पुत्र उदयराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र उदयराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। मनीराम पुत्र उदयराम का देहान्त हो चुका है तथा मनीराम का एकमात्र पुत्र हंसराज का भी देहान्त हो चुका है तथा उनकी दो पुत्रीया प्रमीला व मन्जु व धर्मपत्नी कमला है तथा वादी के दादा की फौतदगी के बाद उनकी जगह हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा [illegible] की के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र हंसराज व मनीराम तथा शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र उदयराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। मनीराम पुत्र उदयराम का देहान्त हो चुका है तथा मनीराम का एकमात्र पुत्र हंसराज का भी देहान्त हो चुका है तथा उनकी दो पुत्रीया प्रमीला व मन्जु व धर्मपत्नी कमला है तथा वादी के दादा की फौतदगी के बाद उनकी जगह हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र उदयराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। मनीराम पुत्र उदयराम का देहान्त हो चुका है तथा मनीराम का एकमात्र पुत्र हंसराज का भी देहान्त हो चुका है तथा उनकी दो पुत्रीया प्रमीला व मन्जु व धर्मपत्नी कमला है तथा वादी के दादा की फौतदगी के बाद उनकी जगह हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक मनीराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 193/193 की कुल 6.1210 हैक्ट भूमि में मृतक मनीराम पुत्र उदयराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1243/2024

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी ।

—— वादी

बनाम

1. कमला पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
2. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
3. सति पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
4. प्रमीला पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।
5. मन्जु देवी पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन बशीर तहसील टिब्बी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1243 सन 2024 निर्णय दिनांक -15/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 193/193 की कुल 6.1210 हैक्ट भूमि में मृतक मनीराम पुत्र उदयराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:48 IST
Reason: SelfAttested